



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6]
No. 6]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6, 1982/माघ 17, 1903

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6, 1982/MAGHA 17, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली 18 जनवरी, 1982

सांकांनि० 112-- भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या सांकांनि० 443(ड) तारीख 18 अक्टूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956(1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सांकांनि० 3216 तारीख 4 अक्टूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे हमने इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि वे० मार्क इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कम्पनी' कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की अपेक्षाओं से कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है, निम्नलिखित अन्य अपवादों तथा उपान्तरों के अध्वधीन रहते हुए लागू होगी, अर्थात् --

यदि 31-12-1980 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि कम्पनी भारत में सम्पूर्ण कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित के तहत प्रतिया प्रस्तुत करने से उक्त धारा 594 की उपधारा(1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायेगा --

- (1) (1) अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत भारत में आवेशिका तामील के लिये प्राधिकृत व्यक्ति तथा (2) भारत में शासपाल लेखापाल, द्वारा प्रमाणित इसकी भारतीय शाखा की प्राप्तियों तथा श्रदायधियों का विवरण-पत्र
- (2) उपर उप-धारा (1) में बर्णित ढग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा श्रेयताओं का विवरण-पत्र
- (3) उपर उप-धारा (1) में बर्णित व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तः हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कम्पनी ने 31-12-1980 के वर्ष की समाप्ति के मध्य भारत में कोई व्यापार नहीं किया।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से।

[फा०सं० 14/15/81-सी०एल०-6]
राज्य लक्ष्मी, प्रवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(Department of Company Affairs)
(COMPANY LAW BOARD)

New Delhi, the 18th January, 1982

G.S.R. 112.—In pursuance of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India, Department of Company Affairs, Notification No. GSR. 443(E) dated the 18th October 1972 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) No.

(a) in rule 6, the words "or posts" shall be omitted.

(b) in the Schedule, in column 6, for the brackets and words "(Relaxable for Government Servants)" the brackets and words "(Relaxable for Government Servants upto 35 years)" shall be substituted.

Foot Note—The National Museum of Man (Senior Photographer and Senior Artist) Recruitment Rules, 1978 were notified vide Gazette Notification No. F. 7-13/77/CH.I, dated 15-9-78 (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) on 7-10-78 vide G.S.R. 1230.

[No. F. 7-13/77-CH. I]

N. D. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1982

सां.कां.निं. 136.—भारतीय संग्रहालय अधिनियम, 1910 (1910 का 10) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री कानईलाल डे की तत्काल से तीन वर्षों की अवधि के लिए भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के एक न्यासी के रूप में मनोनीत करती है।

[सं. एफ. 11-5/81-सी. एच. 5]

एच. एम. जस्सल, प्रवर सचिव

New Delhi, the 21st January, 1982

G.S.R. 136.—In pursuance of clause (f) of sub-section (1) of section 2 of the Indian Museum Act, 1910 (10 of 1910), the Central Government hereby nominates Shri Kanailal Dey, as a Trustee of the Indian Museum, Calcutta, for a period of three years with immediate effect

[No. F. 11-5/81-CH-5]

H. S. JASSAL, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1982

सां. कां. निं. 137—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में-

(क) क्रम सं. 25 के सामने स्तंभ 12 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्-

"प्रोमोति"

आकाशवाणी, दूरदर्शन के ऐसे ज्येष्ठ आशुलिपिक (425-700) जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पर्याप्त नियमित आधार पर आठ वर्षों की सेवा की है।

टिप्पण यदि दूरदर्शन के ज्येष्ठ आशुलिपिक आकाशवाणी/दूरदर्शन के काइरो का विभाजन होने पर दूरदर्शन में शामिल होने का अपने विकल्प का प्रयोग करते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पण मूल नियम भारत के राजपत्र 1962 (आकाशवाणी) भाग 2, खंड उपखंड (1) में सां. कां. निं. 347 तां. 17-3-1962 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और उसके पर्याप्त निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए-

(1) अधिसूचना तां. 4-5-62.

(2) अधिसूचना सं. 11(6)/62-बी. (ए) तां. 18-10-1962

3) अधिसूचना सं. 5(89)/58-बी (ए) तां. 20-11-1962

4) अधिसूचना सं. 9/7/62-बी. (ए) तां. 8-1-1963

(5) अधिसूचना सं. 13/55/61-बी. (ए) तां. 9-7-1963.

(6) अधिसूचना सं. 5/48/62-बी. (ए) तां. 5-8-1963

(7) अधिसूचना सं. 11/2/61-बी. (ए) तां. 31-8-1964.

(8) अधिसूचना सं. 11/3/63-बी. (ए) तां. 23-10-1964

(9) अधिसूचना सं. 11/6/64-बी. (ए) तां. 28-4-1965.

(10) अधिसूचना सं. 5/45/65-बी. (ए), तां. नवम्बर 1965

(11) अधिसूचना सं. 11/4/65-बी. (ए) तां. 31-12-1965.

(12) अधिसूचना सं. 11/8/65-बी. (ए), तां. 1-11-1966.

(13) अधिसूचना सं. 11/4/65-बी. (ए), तां. 4-12-1966

(14) अधिसूचना सं. 7/1/67-बी. (ए), तां. दिसम्बर, 1967

(15) अधिसूचना सं. 20/6/67-बी. (ए), तां. फरवरी, 1968

(16) अधिसूचना सं. 7/1/67-बी. (ए), तां. 30-4-1968.

(17) अधिसूचना सं. 20/6/67-बी. (ए), तां. 17-7-1969.

(18) अधिसूचना सं. 7/12/68-बी. (ए), तां. 19-7-1969 मां. कां. निं. सं. 1682.)

(19) अधिसूचना सं. 17/9/68-बी. (ए.) तां. 6-1-1970 मां. कां. निं. सं. 173 तां. 31-1-1970

(20) अधिसूचना सं. 17/7/69-बी. (ए) तां. 21-1-1970.

(21) अधिसूचना सं. 17/8/69-बी. (ए), तां. 1-4-1970

(22) अधिसूचना सं. 7/2/68-बी. (ए), 2-7-1970.

(23) अधिसूचना सं. 1/4/70-बी. (ए), तां. 25-8-1970.

(24) अधिसूचना सं. 17/9/69-बी. (ए), तां. 21-2-1972.

(25) अधिसूचना सं. 1/9/71-बी. (ए), तां. 6-6-1972.

(26) अधिसूचना सं. 1/7/71-बी. (ए), तां. 13-2-1973

(27) अधिसूचना सं. 1/9/72-बी. (ए), तां. 10-4-1973

(28) अधिसूचना सं. 1/15/73-बी. (ए), तां. 16-2-1974

(29) अधिसूचना सं. 1/12/73-बी. (ए), तां. 4-4-1975

(30) अधिसूचना सं. 1/12/73-बी. (ए) तां. 24-6-1975.

(31) अधिसूचना सं. 17/9/69 (ए), तां. 11-6-1975.

(32) अधिसूचना सं. 1/15/75-बी. (ए), तां. 15-4-1976.

(33) अधिसूचना सं. 1/12/73-बी. (ए), तां. 4-11-1976.

(34) अधिसूचना सं. 12019/9/78-बी. (ए), तां. 26-12-1978.

(35) अधिसूचना सं. 12018/4/77-बी. (ए), तां. 4-9-1980.

(36) अधिसूचना सं. 12019/1/78-बी. (ए), तां. 16-12-1980

(37) अधिसूचना सं. 12019/1/80-बी. (ए), तां. 20-10-1981 (प्रथम संशोधन)

[फाइल संख्या 12018/4/77-बी. (ए)]

आर. डी. जी. अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi the 15th January, 1982

G.S.R. 137—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962 namely :-

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (First Amendment) Rules 1982.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962 :-

(a) for the entry against serial No.25 under column 12 the following shall be substituted, namely :-

"Promotion" :

Senior Stenographers (Rs.425-700) in the All India Radio, Doordarshan with eight years' in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

Note : The senior stenographers of Doordarshan will not be considered if they exercise their option to join Doordarshan on bifurcation of the cadres of All India Radio/Doordarshan.

Note :— Principal rule published vide GSR No.347, dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary) Part II Section 3 Sub Section (i) subsequently amended by :—

1. Notification dated 4-5-62.
2. Notification No. 11(6)/62-B(A), dt. 18-10-1962.
3. Notification No.5(89)/58-B(A), dt. 20-11-1962.
4. Notification No.9/7/62-E(A), dt. 8-1-1963.
5. Notification No.13/55/61-B(A), dt. 9-7-1963.
6. Notification No.5/48/62-B(A), dt. 5-8-1963.
7. Notification No.11/2/61-B(A), dt. 31-8-1964.
8. Notification No.11/3/63-B(A), dt. 23-10-1964.
9. Notification No.11/6/64-B(A), dt. 28-4-1965.
10. Notification No.5/45/65-B(A), dt. Nov., 1965.
11. Notification No.11/4/65-B(A), dt. 31-12-1965.
12. Notification No.11/8/65-B(A), dt. 1-11-1966.
13. Notification No.11(4)/65-B(A), dt. 4-12-1966.
14. Notification No.7/1/67-B(A), dt. Dec.1967.
15. Notification No.20/6/67-B(A), dt. Feb.1968.
16. Notification No.7/1/67-B(A), dt. 30-4-1968.
17. Notification No.20/6/67-B(A), dt. 17-7-1969.
18. Notification No.7/12/68-B(A), dt. 19-7-1969 (GSR No. 1682).
19. Notification No.17/9/68-B(A), dt. 6-1-1970 (GSR No. 173, dt. 31-1-70)
20. Notification No.17/7/69-B(A), dt. 21-1-1970.
21. Notification No.17/8/69-B(A), dt. 2-4-1970.
22. Notification No.7/2/68-B(A), dt. 24-7-1970.
23. Notification No.1/4/70-B(A), dt. 25-8-1970.
24. Notification No.17/9/69-B(A), dt. 21-2-1972.
25. Notification No.1/9/71-B(A), dt. 6-6-1972.
26. Notification No.1/7/71-B(A), dt. 13-2-1973.
27. Notification No.1/9/72-B(A), dt. 10-4-1973.
28. Notification No.1/15/73-B(A), dt. 16-2-1974.
29. Notification No.1/12/73-B(A), dt. 4-4-1975.
30. Notification No.1/12/73-B(A), dt. 24-6-1975.
31. Notification No.17/9/69-B(A), dt. 11-6-1975.
32. Notification No.1/15/75-B(A), dt. 15-4-1976.
33. Notification No.1/12/73-B(A), dt. 4-11-1976.
34. Notification No.12019/9/78-B(A), dt. 26-12-1978.
35. Notification No.12018/4/77-B(A), dt. 4-9-1980.
36. Notification No.12019/1/78-B(A), dt. 16-12-1980.
37. Notification No.12019/1/80-B(A), dt. 20-10-1981.
(1st amendment)

[F.No. 12018/4/77-B (A)]

New Delhi, the 15th January, 1982

CORRIGENDUM

G.S.R. 138.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. GSR 1002 dated the 20th October, 1981, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) dated the 7th November, 1981 :—

- (i) at page 2398, in the Schedule, after the entry under column 4 add "Gazetted Non-Ministerial";
- (ii) at page 2399, in column 12 under the heading "Transfer on deputation.",—(a) in the entry (ii),

for "holding analogous posts of Junior Accounts Officer" read "holding analogous posts or posts of Junior Accounts Officer";

(b) in the entry (iii), for "Accountants/Audit Officers" read "Accounts/Audit Officers".

[No. A-12019/1/80-B(A)]
R. D. JOSHI, Under Secy.

पूति और पुनर्वासि मंत्रालय

(पुनर्वासि विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी 1982

सां० का० नि० 139—संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा दण्ड कारण्य परियोजना, शिक्षा संगठन (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1975 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम दण्डकारण्य परियोजना (समूह ग पद) शिक्षा संगठन अर्थात् (संशोधन) नियम 1982 कहलायेंगे।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2 दण्डकारण्य परियोजना (समूह ग पद) शिक्षा संगठन, भर्ती नियम 1975 के साथ संबद्ध अनुसूची में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (स्नातक) के पद के नामने :—

(i) कालम 1 के अस्तर्गत वर्तमान इंदराज के लिए निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"380-12-440 द० रो०-15-560-द० रो०-20-640 द०।"

(ii) कालम 11 के अस्तर्गत वर्तमान इंदराज के लिए निम्न प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"पदोन्नति"

ऐसे युवा कल्याण आयोजक (330-560 द०) जिनकी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो गई हो और शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षक (260-400 द०) जिनकी ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा हो गई हो। व सीधी भर्ती धारों के लिए निर्धारित योग्यताएं रखते हो।

[संख्या-11(4) 79-प्रशासन-III]
सोहन लाल मैदोरसा, उप सचिव

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 20th January, 1982

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Dandakaranya Project, Education Organisation (Group C Posts) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Dandakaranya Project (Group C Posts) Education Organisation Recruitment (Amendment) Rules, 1982.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule annexed to the Dandakaranya Project (Group C Posts) Education Organisation, Recruitment Rules, 1975, against the post of Physical Training Instructor (Graduate) :—
- (i) for the existing entry under column 4, the following shall be substituted, namely :—